



३५/।।

दूरभाष - 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 2952 / 05 / 76 / एक / 2016-17
संग्रह में,

दिनांक : 16 सितम्बर 2016

२०

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-गोण्डा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (गोण्डा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बसियों तथा मलिन बसियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बसियों तथा मलिन बसियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
केनरा बैंक	2832101008199	IFSC Code CNRB0002832	189.773

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० गोण्डा	मौ० सिविल लाईन में कघेहरी आई०टी०आई० रोड पर श्री मंजू सिंह के घर से लल्लन सिंह के प्लाट तक व श्रीकृष्ण तिवारी के प्लाट से स्वयं प्रकाश शुक्ला के मकान से होते हुये विकास सिंह के प्लाट तक व किरन सिंह के प्लाट एवं मेन रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.918
2	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० गोण्डा	मौ० सिविल लाईन में सुधाकर सिंह के घर से तेज प्रताप सिंह व संतोष सिंह के घर से बृजेश सिंह के घर तक व पंकज सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.989
3	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० गोण्डा	मौ० सिविल लाईन में बसअड़ा मेन रोड से तिवारीपुरवा मस्जिद होते हुये भुतहाताल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.276
4	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० गोण्डा	मौ० महराजगंज में मेन रोड से छोटकउ के घर होते हुये चौधरी, ईशू के घर व इमामबाड़ा, कटहरिया मोहल्ला तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.851
5	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० गोण्डा	मौ० सिविल लाईन में पी०डल्य०टी० के सामने गली में व जेल रोड पर हेड पोस्ट ऑफिस के सामने होते हुये पावर हाउस तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	42.123
6	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० गोण्डा	मौ० सिविल लाईन में हाउसिंग कालोनी के फायर स्टेशन के सामने से काशीराम आवासीय कालोनी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	21.064





दूरभाष— 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
7	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 गोण्डा	मौ0 सिविल लाईन में सरयू प्रसाद कन्या पाठशाला के सामने व बगल में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.851
8	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 गोण्डा	मौ0 सिविल लाईन में पी0सी0एफ0 / आई0टी0आई0 मेन रोड से सुरेश सिंह के मकान के बगल गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.425
9	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 गोण्डा	मौ0 सिविल लाईन में डिग्री कालेज चौराहा से आई0टी0आई0 फुरकनिया स्कूल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.276
	योग				189.773

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

- उप्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि छूटा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



दूरभाष— 2286709
2296710

नव येतना कंड, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की रिस्ति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुगम्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक / परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक